बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झॉसी

(उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित स्वायतशासी संस्था)

(विज्ञापन संख्या–BIET- 05/2018)

एम0टेक प्रवेश सूचना

संस्थान में संचालित एम0टेक पाठ्यक्रमों [Digital Communication (EC Branch), Environmental Engg. (CE Branch), Construction Technology & Management (CE Branch), Manufacturing Science & Technology (ME Branch), Thermal Engineering (ME Branch), Energy Science & Technology (CH Branch), Bio Medical Engg. (EC Branch)] में मान0 कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ के निर्देशानुसार रिक्त सीटों पर स्पॉट काउन्सलिंग दिनांक : 14/08/2018 को सायं 2.00 बजे तक किया जाना सुनिश्चित/नियत है। इस स्पॉट राउण्ड काउन्सिलिंग में ए0के0टी0यू0, लखनऊ के पत्र संख्या–2018/29 दिनांक : 09/08/2018 के अनुसार वरीयता निम्न प्रकार होगी।

1. GATE का योग्यता कमांक ।
2. विश्वविद्यालय द्वारा आहूत पी0जी0 प्रवेश परीक्षा की योग्यता का कमांक।

इच्छुक अभ्यर्थी नियत समय तक रूपये 500/– संस्थान में जमा कर काउन्सलिंग में प्रतिभाग कर सकते है। चयनित छात्रों को संस्थान की फीस नियमानुसार दिनांक : 14/08/2017 को ही जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में छात्र का प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त हेतु इच्छुक छात्र अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों सहित नियत समय पर उपस्थित हों। (पूर्ण विवरण/फीस हेतु संस्थान की बेवसाईट www.bietjhs.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।)

(निदेशक)

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः– ए0के0टी0यू0 / 2018 / 29 दिनांक 09 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम0टेक0 एवं एम0आर्क0
पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय संस्थान।

विषयः एम0टेक0 एवं एम0आर्क0 पाठ्यक्रम में "डाईरेक्ट एडमिशन" की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं विश्वविद्यालय के घटक संस्थानो में प्रवेश हेतु आहूत काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण समाप्ति के पश्चात संस्थान विशेष के अन्तर्गत विधा विशेष में रिक्त सीट्स पर स्पाट राउण्ड काउन्सिलिंग के लिए सक्षम स्तर पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। समस्त सम्बन्धित संस्थानो से अपेक्षा है कि वे इस हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व स्पॉट राउण्ड काउन्सिलिग आहूत कर निम्न वरीयता,

1. **GATE** का योग्यता क्रमांक।
2. विश्वविद्यालय द्वारा परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आहूत प्रवेश परीक्षा का योग्यता क्रमांक।

के अनुसार छात्रो को संस्थान में विश्वविद्यालय से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रवेश अनुमन्य कर दें। संस्थान अपने स्तर पर प्रवेश अनुमन्य करते समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2939 / सोलह–1–2018–14(54) / 2012 दिनांक 02 अगस्त, 2018 का संज्ञान भी लेना सुनिश्चित करे। जिसके माध्यम से शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है कि प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त रिक्त रह गये स्थान पर प्रदेश से बाहर के छात्रो को भी प्रवेश अनुमन्य किया जा सकता है।

भवदीय,

(प्रो0 कैलाश नारायण)
प्रति कुलपति